बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-61/2023-................................/श्री भीसम सहनी, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, पश्चिम चम्पारण द्वारा विभाग को समर्पित परिवाद पत्र एवं बिहार विधान परिषद के 204 वें सत्र में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-292 के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-6354 दिनांक-20.12.2023 द्वारा राज्यस्तरीय जाँच दल गठित कर बाल विकास परियोजना कार्यालय, बगहा-1 एवं परियोजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों की जाँच हेतु निदेशित किया गया।

उक्त के आलोक में श्री हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-6513 दिनांक-29.12.2023 द्वारा बगहा-1 परियोजना एवं परियोजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनियमितताओं के आलोक में विभागीय पत्रांक-987 दिनांक-20.02.2024 द्वारा मो० सोहैल अहमद, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-01, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक मे आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-133 दिनांक-06.03.2024 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी के प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में मो० सोहेल अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-5795 दिनांक-31.07.2025 एवं पत्रांक-6616 दिनांक-09.09.2025 द्वारा मो0 सोहेल अहमद से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गई।

आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-105 दिनांक-09.02.2026 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत मो० सोहेल अहमद द्वारा अनुश्रवण में कमी तथा असमायोजित राशि का सम्पूर्ण रूप से समायोजित करने में विफलता के आलोक में इनको अनुशासनिक प्राधिकार ने चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में मो० सोहैल अहमद, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-01, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14(v) के तहत चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/8/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-61/2023- 4494 पटना-15 दिनांक :- 12.8.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /तिरहुत/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) मो० सोहैल अहमद, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा-01, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/26
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।